

प्रेषक,

बाबू रम,
बहु सचिव,
सरकार प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभव

विषय :- दिल्ली परिषक स्कूल देवरख नैनी सोसाइटी को सीएस०प्र०सार्ड० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनुभवित प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहते कि निम्न
हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सीएस०प्र०सार्ड० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनुभवित
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को विभागीय प्रतिवेदी के ज्योति आपत्ति नहीं
है:-

- (1) विद्यालय की पूर्णीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा नियंत्रक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी दलों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/विभिन्न शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुपान की मांग नहीं हो जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मानना प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एज्यूकेशन नईदिल्ली/कॉलेज आफ दि इण्डियन स्कूल सटीफेल्टेट इनजीनियरेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता देना राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का राजकीय संवादता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुभव वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई और उन्हें सदृशता प्राप्त आशासकीय प्रबलतार माध्यमिक प्रियालयों के कर्मचारियों से अनुमत्य सेवा निवृति का दावे प्राप्तव्य कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा सभ्य-सभ्य पर जो भी आदेश निर्णय किये जायेंगे सभ्या उनका पालन करेंगे ।
- (8) विद्युलय का स्कॉर्ड निधारित प्रधन परिवारों में रखा जायेगा ।
- (9) उत्तर शहरी में राज्य सरकार के प्रबलनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उत्तर प्रदेशी का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य ढोना और भीड़ किसी सभ्य यह पाला जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवेदी का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रक्रिया की खूफ या शिक्षण घटती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रधान अनुपर्यंत प्रकाश पत्र वापस दे दिया जायेगा ।

अवधीन,

(वामु राम)

अनु सचिव।

प्राप्तिलिपि एवं जिनके लिए

प्राप्तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आप्रवक्ता लार्यार्थी हेतु प्रेषित -

- 1- शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश विवरण ।
- 2- मध्यस्थीय संस्कृत शिक्षा निदेशक, इताहाशाह।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इताहाशाह।
- 4- निरीक्षक,आंनंद भारतीय विद्यालय छात्रों विवरण ।
- 5- प्रश्नपत्र, दिल्ली धार्मिक स्कूल देवरघ गोदी इताहाशाह।
- 6- गार्ड बुफ ।

आशा है,

H
(वामु राम)

अनु सचिव।